न्यायालय जिलाकलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्रकुमार
आई0ए0एस0

रैफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 04/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

1. कृपाशंकर पुत्र विश्वम्भरदयाल
2. उमाशंकर पुत्र विश्वम्भरदयाल
3. विजयशंकर पुत्र विश्वम्भरदयाल
4. श्रीमती तारा देवी पत्नि विश्वम्भरदयाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी महवा जिला दौसा

.. अप्रार्थीगण

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम—1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 10.07.2024

1. संक्षिप्त विवरण रैफरेन्स इस प्रकार है कि ग्राम महवा तहसील महवा स्थित खसरा नंबर 229 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि माफी घूड्या वल्द श्योदान कौम मीना चौकीदार की थी। बाद में भूमि को सिवाय चक दर्ज कर विश्वम्भरदयाल पुत्र गंगाबक्श जाति ब्राह्मण सा.देह के नाम दर्ज कर दी। इसी कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु यह रैफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।
2. रैफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण से जवाब तलब किया गया।
3. राजकीय अधिवक्ता ने रफ़ैरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि नकल खतौनी बंदोबस्त 2000—2019 अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 229 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा गै0मु0 धर्मशाला माफी घूड्या वल्द श्योदान कौम मीना चौकीदार के नाम थी। तत्पश्चात खसरा नंबर 229/2 रकबा 19 बिस्वा गै0मु0 जरिये नामान्तरण सं0 29 दिनांक 1.12.1958 के द्वारा विश्वंभरदयाल पुत्र गंगाबक्श कौम ब्राह्मण सा.दे. की खातेदारी में दर्ज की गई जमाबंदी के कॉलम नंबर 05 में भूमि की किस्म सिवाय चक है जिसके खसरा नंबर 229/1/1 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 229/1/2 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 229/1/3 रकबा 04 बिस्वा बने है। बंदोबस्त विभाग द्वारा खसरा नंबर 229/2 का खसरा नंबर 143 रकबा 19 बिस्वा गै0मु0धर्मशाला खसरा नंबर 229/1/1 का खसरा नंबर 144 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 229/1/2 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 229/1/3 रकबा 04 बिस्वा का खसरा नंबर 145 रकबा 07 बिस्वा बनाये गये। जमाबंदी एकीकरण संवत 2020 में उक्त खसरा नंबर श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर दौसा

विश्वंभरदयाल के नाम दर्जहै। जमाबंदी एकीकरण संवत 2020 में उक्त खसरा नंबर विश्वम्भरदयाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। हाल खसरा नंबर 404 रकबा 0.24है. किस्म जमीन गै.मु.धर्मशाला, खसरा नंबर 405 रकबा 0.06 है. किस्म जमीन गै.मु.धर्मशाला बावडी, खसरा नंबर 406 रकबा 0.09है. गै0मु0 धर्मशाला जमाबंदी संवत 2056–2059 में जरिये नामान्तरण सं0 72 दिनांक 4.5.2000 श्री विश्वंभरदयाल के उपरांत अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। जमाबंदी संवत 2000–2019 में माफी घूड्या पुत्र श्योदान कौम मीना खसरा नंबर 241 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा किस्म जमीन बा.अ. के दो खसरा नंबर क्रमशः 241/1 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 241/2 रकबा 04 बिस्वा बनाये गये। खसरा नंबर 245 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा किस्म जमीन बा0अ0 जरिये नामान्तरण सं0 28 दिनांक 1.12.1958 विश्वम्भरदयाल पुत्र गंगाबक्श कौम ब्राह्मण सा.दे. की खातेदारी में दर्ज नामान्तरण के कॉलम नं0 05 में वह भूमि सिवाय चक अंकित है। ख0नं0 245 के ख0नं0 245/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 245/2 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा नये नंबर अंकित किये गये है, जिसके खसरा नंबर 153 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 156 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा बा.अ./डोल बनाये गये है। उपरोक्त दोनों खसरा नंबर सा0ख0नं0 241/1/1, 241/2, 245/1, 245/2 एवं अन्य खसरा नंबरान को मिला कर भरा गया है। खसरा नंबर 156 जमाबंदी संवत 2020 में विश्वम्भरदयाल की खातेदारी में दर्ज है जिसके हाल खसरा नंबर 419 रकबा 0.50है. खसरा नंबर 416 रकबा 1.33है. खसरा नंबर 417 रकबा 0.69है. खसरा नंबर 418 रकबा 0.63है., खसरा नंबर 422 रकबा 0.43है.उक्त खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 416 जमाबंदी संवत 2056–2059 में गै0मु0 आबादी दर्ज है। ना.सं. 72 दिनांक 4.5.2000 द्वारा अप्रार्थीगण 01 लगा0 4 की खातेदारी में आये है। खतौनी बंदोबस्त संवत 2000–2019 माफी घूडया वल्द श्योदान मीना चौकीदार खसरा नंबर 243 रकबा 05 बिस्वा किस्म जमीन बा0अ0 से खसरा नंबर 154 रकबा 05 बिस्वा से बना है जिसके हाल खसरा नंबर 420 रकबा 0.06है. जमाबंदी में दर्ज है। खसरा नंबर 243 जरिये नामान्तरण सं0 28 दिनांक 1.12.1958 द्वारा श्री विश्वंभरदयाल पुत्र गंगाबक्स सा.दे. की खातेदारी में दर्ज होने से अप्रार्थी सं0 01 से 04 के नाम जमाबंदी संवत 2056–2059 में नामां0 सं0 72 दिनांक 4.5.2000 से नाम आना प्रकट है। जमाबंदी बंदोबस्त संवत 2000–2019 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि ख0नं0 229 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नंबर 241 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा खसरा नंबर 243 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 245 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा घूड्या वल्द श्योदान मीना चौकीदार की खातेदारी में दर्ज है। भूमि माफी की होना स्पष्ट है। प्रश्नगत भूमि ना.स. 28, 29 दिनांक 1.12.1958 द्वारा विश्वम्भरदयाल पुत्र गंगाबक्श जाति ब्राह्मण सा.देह के नाम स्वीकृत नामा स्वयं बहैसियत सरपंच, ग्राम पंचायत महवा द्वारा अपने हक में स्वीकृत किये गये ज[illegible]यत को नामान्तरण तस्दीक करने का अधिकार नहीं था। सरपंच [illegible] अधिकार नहीं दिये जा सकते है, दूसरे स्वयं के प[illegible] अथवा किसी कार्यवाही में सरपंच स्वयं भाग नहीं ले सकता है। प्रकरण में सरपंच [illegible] अधिकार क्षेत्र नहीं होते हुए भी स्वयं को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। नामान्तरण सं0 28 व 29 अवैधानिक, कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से प्ररंभतः शून्य है।प्रारंभतः शून्य नामान्तरण को कभी भी निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

किया जा सकता है। समय सीमा का कोई प्रतिबंध रैफरेन्स पर लागू नहीं होता है। रैफरेन्स के लिए कोई समय सीमा नही है।अतः रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0. 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि उक्त रेफरेन्स अप्रार्थीगंणा को हैरान व परेशान करने के लिये झूठे आधारो पर कानून के विपरीत तरीके से पेश किया गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त रेफरेन्स मात्र घूडया पुत्र श्योदान मीना चौकीदार के नाम दर्ज भूमि खसरा नंबर 229, 241, 243, 245, 247, 248, 255, 256, 257, 258, 300, 301, 318, 319, 320, 321, कुल किता 16 कुल रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा पर उसका कब्जा नही होने के कारण तथा उसके अधिकार समाप्त हो जाने के कारण उक्त भूमि को आदेश से सिवाय चक दर्ज किया गया है। उक्त भूमि के सिवाय चक दर्ज हो जाने के बाद विधिवत उक्त भूमि में से धारा 15, 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार महवा ने मिसल नंबर 100 निर्णय दिनांक 24.06.57 के आधार पर निर्णय करके और खसरा नंबर 229/ 2 रकबा 19 बिस्वा की सिवाय चक के बजाय खातेदारी विशम्भरदयाल पुत्र गंगाबक्स जाति ब्राहम्ण निवासी महुवा के नाम देने का आदेश दिया और उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 29 विधिवत तस्दीक करके और 229 / 2 रकबा 19 बिस्वा की खातेदारी विशम्भरदयाल पुत्र गंगाबक्स जाति ब्राहम्ण निवासी महुवा के नाम दी गयी इसी प्रकार उक्त भूमि के सिवाय चक होजाने के बाद धारा 15 व 19 के तहत मौके पर विशम्भरदयाल पुत्र गंगाबक्स जाति ब्राहम्ण निवासी महुवा का कब्जा होने के कारण मिसल नंबर 237 निर्णय दिनांक 24.12.57 के आधार पर सिवाय चक से खसरा नंबर 241, 245, 243 की खातेदारी दी गयी और तहसीलदार के आदेश की पालना मे विधिवत विशम्भरदयाल के नाम नामान्तकरण तस्दीक होकर खातेदारी दी गयी और विशम्भरदयाल की मृत्यु हो जाने के बाद विधिवत विरासत का नामान्तकरण संख्या 72 अप्रार्थीगण के हक मे तस्दीक किया गया है जिसमे कोई कानूनी गलती नही की गयी है। उक्त घूडया के नाम दर्ज उपर वर्णित भूमि सम्पूर्ण को सिवाय चक दर्ज किया गया है और सम्पूर्ण को सिवाय चक दर्ज करके और उक्त भूमि मे से मात्र विशम्भरदयाल के नाम सिवाय चक से धारा 15 व 19 के तहत निर्णय करके और नामान्तकरणो के जरिये दी गयी खातेदारी का ही रेफरेन्स किया गया है शेष अन्य नंबरान की भूमि खसरा नंबर 229 मे से 12 बिस्वा व 247, 248, 255, 256, 257, 258, 300, 301, 318, 319, 320, 321 जो सिवाय चक होने के बाद दीगर लोगो के नाम लगी है उक्त भूमि के सबध मे कोई रेफरेन्स नही किया गया है जो तहसीलदारजी का स्पष्ट अप्रार्थीगण के खिलाफ रंजिशवश व राजनैतिक दबाव से रेफरेन्स करना सिद्ध करता है। तहसीलदार ने उक्त शेष नंबरान का रेफरेन्स क्यो नही किया इसके बारे मे अपना कोई स्पष्टीकरण भी नही दिया जो तहसीलदारजी की दोहरी नीति को सिद्ध करता है। यदि गिरदावरियो को देखते है तो उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ... बिशम्भरदयाल का कब्जा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव मे ... का कब्जा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे प्रभाव मे ... के कारण तथा घूड्या के अधिकार समाप्त हो जाने के कारण विधिवत उक्त भूमि ... सिवाय चक अंकित किया गया है और सिवाय चक अंकित करने के बाद विधिवत तहसीलदार जी ने मिसल खोलकर और मिसलो पर आदेश करके विशम्भरदयाल के नाम खातेदारी का आदेश देकर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

खातेदारी के आदेश की पालना में नामान्तरण खोले गये है जो किसी भी तरह से गलत नही है। विशम्भरदयाल के नाम खातेदारी अंकित करने से पूर्व उक्त भूमि सिवाय चक अंकित थी और सिवाय चक पर कब्जे के आधार पर निर्णय करके और विशम्भरदयाल को खातेदारी विधिवत निर्णय करके देकर और निर्णय की पालना मे नामान्तरण खोले गये है जिसमे कोई कानूनीगलती नही की गयी है। उक्त रेफरेन्स काफी देरीना 40 वर्ष से भी अधिक समय के बाद प्रस्तुत किया गया है। इतने लम्बे समय के बाद प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स चलने योग्य नही है। उक्त नामान्तरणो मे धारा 42 का कोई उल्लंघन नही हुआ है क्योकि उक्त नामान्तरण मीना जाति के व्यक्ति से विशम्भरदयाल के नाम नही खोले गये है बल्कि नियमानुसार निर्णय करके और सिवायचक से खातेदारी आदेश देकर और तहसीलदार के आदेश की पालना मे उक्त नामान्तरण खोले गये है जिसमे धारा 42 का कोई उल्लंघन नही होता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने आगे बहस में यह भी कथन किया कि तहसीलदारजी महुवा ने राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 14.11. 2014 के अनुसार कोई पालना नही की गयी है। माननीय राजस्व मंडल ने अपने निर्णय दिनांक 14.11.2014 में जो आदेश और निर्देश दिये गये है उस किसी भी आदेश निर्देश की पालना नही की गयी है इसलिये उक्त आदेश निर्देश की पालना नही करने के कारण उक्त रेफरेन्स चलने योग्य नही है। जब नामान्तरण संख्या 28 तहसीलदार महवा के मिसल नंबर 237 रजु दिनांक 23.09.57 फैसला 24.12.57 की पालना मे तस्दीक किया गया है व नामान्तरण संख्या 29 मिसल नंबर 100 रजु दिनांक 24.05.57 फैसला 24.06.57 पर पर्चा जारी करने का फेसला किया है उक्त दौनो फेसले तहसीलदारजी ने पर्चा जारी करने के किये है और उक्त दौनो फैसलो की पालना मे नामान्तरण संख्या 28 व 29 तस्दीक किये गये है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि कानूनन तहसीलदारजी के निर्णय की अपील करने का प्रावधान होता है और जब किसी निर्णय की अपील करने का प्रावधान हो तो रेफरेन्स नही चल सकता है। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 28 व 29 की भी अपीलकरने का प्रावधान है और जब अपीलकरने का प्रावधान हो तो रेफरेन्स पेश नही हो सकता है। चूकि जब तहसीलदार के फैसलो व उक्त फैसलो के आधार पर खोले गये नामान्तरणों की अपील करने का प्रावधान है और कानूनन अपील हो सकती है तो रेफरेन्स के माध्यम से उक्त फैसलो व नामान्तरण को निरस्त नही करवाया जा सकता है। घूड्या के नाम की जो जमीन सिवाय चक हुई उस सिवाय चक में से नामान्तकरण संख्या 64 के जरिये खसरा नंबर 256, 257 का नामान्तरण विकास विभाग महुवा के नाम खोला गया है, इसी प्रकार खसरा नंबर 300, 301, 318, 248/2, 319 का नामान्तरण पहले नामान्तकरण संख्या 23 घूडया पुत्र श्योदान, मरदाना पुत्र धन्ना, उमराव पुत्र टूण्डा जाति मीना निवासी महुवा के नाम खोला गया है और फिर इसके बाद इन्ही नंबरों का नामान्तकरण संख्या 31 घू[illegible]या वगै0 के बजाय कल्याणसहाय जगदीशप्रसाद पिसरान नाराय[illegible] निवासी महुवा के नाम खोला गया है इन नामान्तरणो को व इन्द्राज[illegible]नही किया इसका तहसीलदार महवा ने कही भी अपना स्पष्टीकरण नही दिया है। राज[illegible]य अधिवक्ता ने जो बहस की गई है, वो रिकार्ड के विपरीत तरीके से झूठे आधारो पर की गयी है। उक्त नामान्तरण संख्या 28 व 29 जिन मिसलो के आधार पर खोला गया है वह मिसले अगर तहसील कार्यालय अथवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिलेखागार में सुरक्षित नही मिल रही है तो उसकी जिम्मेदारी अप्रार्थीगण की नही है बल्कि मिसले रखने देखने सुरक्षित रखने आदि समस्त प्रकार की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार ने अपना रिकार्ड सुरक्षित नही रखा तो उसका फायदा सरकार को नही मिल सकता है। जानकारी के लिये यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है महुवा तहसील का रिकार्ड आग लग जाने के कारण जल गया था यह संभवतया हो सकता है उक्त मिसले उक्त अग्निकाण्ड मे जल गयी हो। उक्त भूमि एस. टी. वर्ग के नाम के बजाय सवर्ण जाति के नाम नही की गयी है बल्कि रिकार्ड मे सिवाय चक दर्ज रही है जो रिकार्ड से प्रमाणित है और सिवाय चक के बाद निर्णय से विशम्भरदयाल के नाम अंकित की गयी है जिससे धारा 42 का कोई उल्लंघन नही होता है जो भूमि नामान्तरण संख्या 28 व 29 के तहत सिवाय चक अंकित थी उसे विधिवत कब्जे के आधार पर विशम्भरदयाल के नाम खातेदारी दी गयी है । उक्त भूमि धारा 16 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे वर्णित वर्जित श्रेणी मे नही आती है। उक्त भूमि खसरा नंबर 229/2 में बनी हुई धर्मशाला विशम्भरदयाल ने बनायी है जिसका अंकन गिरदावरी सवत 2019 में हो रहा है इसमे स्पष्ट लिखा है कि उक्त धर्मशाला व बावडी कोठा पुख्ता वाके है जो श्रीगंगावक्श व विशम्भरदयाल हरियाणा ब्राहम्ण निवासी महुवा ने सन 1939 में बनाया है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि उक्त धर्मशाला व बावडी विशम्भरदयाल गंगाबक्स ने बनायी है इसलिये उक्त भूमि धारा 16 मे वर्णित वर्जित श्रेणी मे नही आती है। अतः प्रार्थी तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे हमारे समक्ष निम्न तथ्य प्रकट होते है:–

1.नामान्तरण सं0 28 व 29 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सरपंच, ग्राम पंचायत महवा द्वारा सिवाय चक भूमि की खातेदारी विश्वम्भरदयाल पुत्र गंगाबक्श कौम ब्राहमण सा0दे0 के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है जो नियम विरूद्ध है। क्योंकि सिवाय चक भूमि की खातेदारी का नामान्तरण स्वीकार करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होकर तहसीलदार को है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत महवा ने स्वयं के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज करने का आदेश जारी किया है। वह भी नियम विरूद्ध है। क्योंकि सरपंच स्वयं के नाम किसी भी प्रकार का नामान्तरण स्वीकार नहीं कर सकता है।

2. रैफरेन्स की शुरूआत के नामान्तरण संवत 28 व 29 निर्णय दिनांक 1.12.1958 से ही होती है। इन नामान्तरणों का आधार मिसल नंबर 237 दिनांक 13.9.1957 तथा मिसल नंबर 100 दिनांक 24.5.1957 को बनाया गया है जबकि उक्त मिसलें न तो तंहसील कार्यालय महवा मे ना ही जिला अभिलेखागार दौसा में उपलब्ध है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मिसल नंबर काल्पनिक हो सकते हैं क्योंकि यदि मिसल संख्या वास्तविक होती तो यह दोनों नामान्तरण तत्कालीन तहसीलदार द्वारा निर्णित किये जाते ना कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

3. संवत 2000 से 2019 में [illegible] वल्द श्योदान चौकीदार मीना के नाम खातेदारी में दर्ज थी। इसके बाद की किसी भी जमाबंदी में इस भूमि को सिवाय चक किये जाने का ना तो आदेश अंकित है और न किसी नामान्तरण का नोट इसमें लगा हुआ है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि को काल्पनिक मिसलों के आधार

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

पर सवर्ण के नाम स्वयं सरपंच द्वारा अपने नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है।

4. कोई भी तहसीलदार अनुसूचित जनजाति की भूमि को किसी भी मिसल अथवा पर्चा के आधार पर सवर्ण के नाम करने का आदेश पारित नहीं कर सकता, क्योंकि इससे राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का सीधा–सीधा उल्लंघन है तथा उक्त भूमि की किस्म गै0मु0धर्मशाला (बावडी) जो कि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है जिसको किसी व्यक्ति विशेष को निजी उपयोग हेतु नहीं दिया जा सकता।

5. प्रश्नगत भूमि सिवायचक दर्ज होने अथवा अन्य कोई भूमि अन्तरण अभिलेख उपलब्ध नहीं होने या बीच–बीच का अन्य कोई भूमि अन्तरण अभिलेख नहीं होने का प्रश्न है। उपरोक्त भूमि सिवायचक से विश्वम्भरदयाल की खातेदारी में आना स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

6. माफी भूमि खसरा नंबर 229 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 241 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 245 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 243 रकबा 05 बिस्वा का हाल खसरा नंबर 404 रकबा 0.24है. किस्म गै0मु0 धर्मशाला, खसरा नंबर 405 रकबा 0.06है. गै0मु0बावडी (धर्मशाला) खसरा नंबर 406 रकबा 0.09है. खसरा नंबर 419 रकबा 0.50है. खसरा नंबर 416 रकबा 1.33है. खसरा नंबर 417 रकबा 0.69है. खसरा नंबर 418 रकबा 0.63है. खसरा नंबर 422 रकबा 0.43है. खसरा नंबर 420 रकबा 0.06है. भूमि जिसको माफी भूमि से अवैधानिक रूप से सिवायचक दर्ज कर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना स्पष्ट है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण रैफरेन्स योग्य पाये जाने के कारण नामान्तरण सं0 28, 29 व 72 को निरस्त कर प्रश्नगत भूमि पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रसारित करने हेतु माननीय राजस्व मंडल, अजमेर को रैफरेन्स किया जाता है। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 09.09.2024 को माननीय राजस्व मंडल, अजमेर में उपस्थित होवे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:44:11 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा